

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 1262/2024

मणिलाल यादव

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा, बांसवाड़ा।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 06.03.2024

आदेश की दिनांक : 28.03.2024

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री एस.के. सिंगोदिया, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, केविएटर

समक्ष :- अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम-1976 की धारा-4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील अनुसार अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड-III लेवल-I के पद पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय, गडिया प्रथम, ब्लॉक तलवाड़ा, जिला बांसवाड़ा में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 24.05.2022 द्वारा राजस्थान शैक्षिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम 2021 के नियम 6 (iii) के तहत अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नगर, बांसवाड़ा किया गया। इस आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 8121/2022 आशा जोशी एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य दायर की गई, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.06.2022 (अनुलग्नक-3) द्वारा आदेश दिनांक 24.05.2022 के क्रियान्वयन पर अंतरिम स्थगन आदेश पारित किया गया। रिट याचिका का अन्तिम निर्णय दिनांक 18.09.2023 का हुआ जिसमें अपीलार्थी को प्रत्यर्थीगण को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं जिला शिक्षा अधिकारी का उक्त अभ्यावेदन प्राप्त होने के 6 सप्ताह में निर्णित करने हेतु आदेशित किया गया। अपीलार्थी द्वारा इसकी पालना में विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जिसे आदेश दिनांक 14.02.2024 द्वारा निरस्त कर दिया गया। सभी आदेश अनुलग्नक-1 से 4 पर उपलब्ध है। आदेश दिनांक 14.02.2024 में उल्लेखित है कि जिला स्तर पर

गठित परिवेदना समिति में अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर विचार किया गया है, परन्तु रिपोर्ट की प्रति अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं करायी गयी है तथा अपीलार्थी को कोई स्पष्टीकरण देने हेतु नहीं कहा गया है। जिला स्तरीय समिति के आदेश दिनांक 14.02.2024 द्वारा अपीलार्थी का अभ्यावेदन अस्वीकार कर दिया गया है। अपीलार्थी प्रारंभिक शिक्षा में कार्यरत है और उसे नियम 2021 के नियम 6 (iii) के प्रावधानों के पालना किए बिना माध्यमिक शिक्षा में भेजा गया था। वरिष्ठता के आधार पर माध्यमिक शिक्षा में भेजा जाना होता है। नियम 2021 के नियम 6 (iii) के तहत अधिशेष घोषित करते समय वरिष्ठता का ध्यान नहीं रखा गया है। जिन शिक्षकों के नाम दिनांक 20.05.2022 की सूची में थे, उन्हें 22.03.2022 को निर्धारित काउंसलिंग की प्रक्रिया में उपस्थित होने के लिए कहा गया था। अपीलार्थी के साथ-साथ अन्य लोग भी काउंसलिंग की प्रक्रिया के दौरान उपस्थित हुए थे और उक्त काउंसलिंग प्रक्रिया के बाद केवल 35 शिक्षकों को नियम 2021 के 6(3) की सूची में शामिल किया गया था। सूची दिनांक 20.05.2022 के साथ-साथ सूची दिनांक 22.05.2022 (अनुलग्नक-5 एवं 6) के अवलोकन से पता चलता है कि दिनांक 20.05.2022 की सूची के दो उम्मीदवार पंकज कुमार भट्ट (क्रमांक 13) और रमेश चंद्र पाटीदार (क्रमांक 15) हैं वे अभी भी प्राथमिक शिक्षा में कार्यरत हैं जबकि अपीलार्थी के पास माध्यमिक शिक्षा में भेजा जा रहा है। जो नियम 2021 के नियम 6(3) के प्रावधान के विपरीत है। प्रारंभिक से माध्यमिक में पदस्थापन के लिए नियमावली 2021 के नियम 6(3) के तहत 60 शिक्षकों का चयन हुआ, जिसमें से मात्र 35 शिक्षकों को ही काउंसलिंग के लिए बुलाया गया और काउंसलिंग की सूची तैयार करते समय कुछ वरिष्ठ शिक्षकों को नजरअंदाज कर दिया गया है। नियम 6(3) नियम 2021 के प्रावधान एवं इसके अतिरिक्त आदेश दिनांक 20.05.2022 का भी पालन नहीं किया गया है। काउंसलिंग की प्रक्रिया के दौरान सभी रिक्त सीटें प्रदर्शित नहीं की गईं, जिसके कारण अपीलार्थी अपनी पसंद के अनुसार स्थान चुनने से वंचित रह गए। अपीलार्थी प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत है और यदि उसे माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत नियुक्त किया जाता है तो इससे बड़ी कठिनाई होगी क्योंकि अपीलार्थी के सेवानिवृत्त पेंशन संबंधी मामले को निपटाना मुश्किल होगा।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 14.02.2024 (अनुलग्नक-1) एवं आदेश दिनांक 24.05.2022 को अपास्त किया जाकर अपीलार्थी को वर्तमान पद पर निरन्तर कार्य करने दिया जावे।

हमने विद्वान् अधिवक्ता उभय पक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन कर मनन किया।

प्रस्तुत अपील में प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 14.02.2024 (अनुलग्नक-1) के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। जिसमें अपीलार्थी को सेट-अप परिवर्तन के तहत प्राथमिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा में पदस्थापित किया गया है। सेट-अप परिवर्तन वैकल्पिक नहीं है तथा वरिष्ठता के आधार पर सेट-अप परिवर्तन किया जाता है। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा सेट-अप परिवर्तन के विरुद्ध एक याचिका माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 8121/2022 दायर की गई थी। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 18.09.2023 (अनुलग्नक-4) द्वारा यह आदेशित किया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष चार सप्ताह में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जावे और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा निश्चित समयावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत होने पर उसे छः सप्ताह में निस्तारित किया जावे। पत्रावली पर प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से उपलब्ध दस्तावेजात से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय की पालना में प्रत्यर्थी विभाग को कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया, जबकि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अनुपालना में अपेक्षित था कि अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। अपीलार्थी द्वारा भी प्रस्तुत अभ्यावेदन की कोई प्रति पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं की है। अभ्यावेदन के अभाव में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जिला स्तरीय परिवेदना निस्तारण समिति द्वारा अपीलार्थी के प्रकरण में निर्णय किया जाकर उसको सेट-अप परिवर्तन के तहत आलोच्य आदेश जारी किया गया है। अपीलार्थी का कथन है कि उससे वरिष्ठ कार्मिकों को छोड़कर उसका सेट-अप परिवर्तन किया जा रहा है, लेकिन पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाया कि उससे वरिष्ठ कार्मिकों को छोड़कर अपीलार्थी का सेट-अप परिवर्तन किया गया हो। पत्रावली पर उपलब्ध वरिष्ठता सूची (अनुलग्नक-5) में जिन दो कर्मचारियों की अपील में उल्लेख किया गया है, वे दोनों कर्मचारी अपीलार्थी से कनिष्ठ हैं और अपीलार्थी वरिष्ठता सूची में दोनों से वरिष्ठ हैं। अतः उक्त तथ्यों के आलोक में अपील खारिज किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)